

# कार्यालय— जिला कार्यक्रम अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्र संख्या—

/जि0का0अधि0/आ0बा0विज्ञप्ति/2025-26 दिनांक—

21/11/2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0- 1/1092245/ 2025/ 3313/ 58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद संत कबीर नगर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का ग्रामपंचायतवार/वार्डवार (शहरी क्षेत्र)/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं 0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के पदों का विवरण				
				अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	योग
1	संत कबीर नगर	हैंसर बाजार	ग्रामीण/शहरी	0	23	37	44	104
2	संत कबीर नगर	पौली	ग्रामीण	0	13	24	43	80
3	संत कबीर नगर	मेंहदावल	ग्रामीण/शहरी	0	9	15	24	48
4	संत कबीर नगर	नाथनगर	ग्रामीण	0	13	21	21	55
5	संत कबीर नगर	सांथा	ग्रामीण/शहरी	0	31	40	77	148
6	संत कबीर नगर	बेलहरकलां	ग्रामीण/शहरी	0	12	16	27	55
7	संत कबीर नगर	सेमरियावां	ग्रामीण	0	14	20	32	66
8	संत कबीर नगर	बघौली	ग्रामीण/शहरी	0	13	25	40	78
9	संत कबीर नगर	खलीलाबाद	ग्रामीण/शहरी	0	25	46	49	120
10	संत कबीर नगर	शहर	शहरी	0	6	4	9	19
			कुल योग:-	0	159	248	366	773

(नोट:- उपरोक्त तालिका में वर्णित रिक्त पदों की संख्या विभागीय स्थिति के आधार पर घट बढ़ सकती है।)

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकासखण्ड एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

**विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-**

- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।
- एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। आंगनबाड़ी सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
- आयु के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदिका की आयु निर्धारित कट आफ तिथि 01.07.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (शहरी क्षेत्र)/ ग्रामसभा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा ग्रामसभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयवाधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफ लाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/ स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **12-12-2025** मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

### आंगनवाडी सहायिका के पद पर चयन हेतु वरीयता-

- ❖ उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- ❖ उसी ग्रामसभा/ वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिका तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- ❖ विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

### उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही:-

- ❖ उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- ❖ उसी ग्राम सभा/ वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिका तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- ❖ विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/ वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- ❖ उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- ❖ विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- ❖ तलाकशुदा/ परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिका आदेश मान्य होंगे।
- ❖ आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 22/2015/2123/26- 2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- ❖ निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।


उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय, संत कबीर नगर से कार्यालय दिवस में निर्धारित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(सुजीत कुमार)  
जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
संत कबीर नगर।

पू०प०सं०-१८५० / तद दिनांकित-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
4. उपजिलाधिकारी, खलीलाबाद, मेंहदावल एवं घनघटा, संत कबीर नगर।
5. जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि 02 प्रचलित समाचार पत्रों में निशुल्क विज्ञापित प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ कि रिक्त पदों के विज्ञापित की एक प्रति परियोजना कार्यालय एवं विकासखण्ड कार्यालय पर चस्पा करें।
8. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर पर प्रदेशिक संस्करण में विज्ञापित कराकर बिल 02 प्रतियों में प्रस्तुत करें।
9. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर पर प्रदेशिक संस्करण में विज्ञापित कराकर बिल 02 प्रतियों में प्रस्तुत करें।
10. कार्यालय प्रति।

  
21/11/25  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
संत कबीर नगर।